तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.97/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
27.7.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी प्रदीप अतुल रावल पुत्र श्री अतुल रावल, निवासी– जावाल मेन रोड, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म पण्डित नमकीन एण्ड मठरी, राजकीय अस्पताल के सामने, नगरपालिका के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रमेश चन्द्र सैनी (हाल सेवानिवृत) द्वारा दिनांक 14.6.2022 को फर्म पण्डित नमकीन एण्ड मठरी, राजकीय अस्पतला के सामने, नगरपालिका के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी प्रदीप अतुल रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ नमकीन का नमूना संख्या S-1849 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1226/ Act/2022/1221 दिनांक 17.6.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी प्रदीप अतुल रावल को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। अतः प्रतिवादी प्रदीप अतुल रावल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का विधि अनुरुप निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री रमेश चन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 14.6.2022 को फर्म पण्डित नमकीन एण्ड मठरी, राजकीय चिकित्सालय के सामने, नगरपालिका के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी प्रदीप अतुल रावल से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ नमकीन में से 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ नमकीन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ नमकीन के नमूना संख्या S-1849 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1226/Act/ 2022/1221 दिनांक 17.6.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रदीप अतुल रावल ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ नमकीन का विक्रय करके सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा [illegible] उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत [illegible] या [illegible] अपराध है। ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.97/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ नमकीन के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रदीप अतुल रावल पुत्र श्री अतुल रावल, निवासी– जावाल मेन रोड, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म पण्डित नमकीन एण्ड मठरी, राजकीय अस्पताल के सामने, नगरपालिका के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रदीप अतुल रावल को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01.9.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested